



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान)

(An autonomous Institute under the aegis of Ministry of Education (Shiksha Mantralaya), Govt. of India)

Plot No. FA7, Zone P1, GT Karnal Road, Delhi-110036, INDIA

दूरभाष/Tele: +9111-33861000, 1001, 1005, वेबसाइट/Website: www.nitdelhi.ac.in

No.: NITD/R/Office-Order/2026/139

Dated: 18.09.2026

OFFICE ORDER

Subject: Constitution of a Committee to frame institutional guidelines governing external teaching assignments by faculty members – reg.

The Competent Authority has been pleased to constitute a Committee comprising the following members to examine and formulate draft institutional guidelines governing external teaching assignments undertaken by faculty members with remuneration in CFTIs/Government Institutions/Universities not covered under an MoU with National Institute of Technology Delhi:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dean (Faculty Welfare) | — Chairperson |
| 2. Dean (Academics) | — Member |
| 3. Dean (Research and Consultancy) | — Member |
| 4. Dean (Students Welfare) | — Member |
| 5. Manisha Singh, Deputy Registrar (Estt.) | — Member |

The Committee is requested to examine the matter and submit its recommendations on the following Terms of Reference:

- Eligibility criteria and categories of faculty (regular/contractual) permitted to undertake such assignments;
- Permissible scope and duration;
- Conditions relating to honorarium/remuneration, leave, and use of Institute infrastructure;
- Requirement of NOC/prior approval, undertaking regarding non-hampering of Institute duties, and periodic certification by Head of the Department/Dean concerned;
- Applicability of Rule 15, CCS (Conduct) Rules, 1964 and related DoP&T instructions; and
- Reporting/record-keeping mechanism for such permissions granted.

The Committee is requested to submit its recommendations within a reasonable time frame for the consideration of the Competent Authority.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Prof. (Dr.) Obbu Chandra Sekhar)

Registrar (I/c), NIT Delhi

Copy to:

- Concerned members.
- Director Office.
- Registrar Office.
- Establishment Section.
- Relevant File(s)

Note: In case of any discrepancies, the English version of this document shall prevail.



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान)

(An autonomous Institute under the aegis of Ministry of Education (Shiksha Mantralaya), Govt. of India)

Plot No. FA7, Zone P1, GT Karnal Road, Delhi-110036, INDIA

दूरभाष/Tele: +9111-33861000, 1001, 1005, वेबसाइट/Website: www.nitdelhi.ac.in

क्रमांक: NITD/R/Office_order/2026/129

दिनांक: 18.09.2026

कार्यालय आदेश

विषय: संकाय सदस्यों द्वारा बाहरी शिक्षण कार्य (External teaching assignments) को नियंत्रित करने के लिए संस्थागत दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एक समिति के गठन के संबंध में।

सक्षम प्राधिकारी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) के अंतर्गत न आने वाले सीएफटीआई (CFTIs)/सरकारी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में पारिश्रमिक के साथ संकाय सदस्यों द्वारा किए जाने वाले बाहरी शिक्षण कार्यों को नियंत्रित करने वाले मसौदा संस्थागत दिशानिर्देशों का परीक्षण करने और उन्हें तैयार करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति का सहर्ष गठन किया है:

- | | |
|--|-----------|
| 1. संकाय कल्याण अधिष्ठाता (Dean, Faculty Welfare) | — अध्यक्ष |
| 2. अकादमिक अधिष्ठाता (Dean, Academics) | — सदस्य |
| 3. अनुसंधान एवं परामर्श अधिष्ठाता (Dean, Research and Consultancy) | — सदस्य |
| 4. छात्र कल्याण अधिष्ठाता (Dean, Students Welfare) | — सदस्य |
| 5. मनीषा सिंह, उप कुलसचिव (स्थापना) | — सदस्य |

समिति से अनुरोध है कि वह इस मामले का परीक्षण करे और निम्नलिखित विचारार्थ विषयों (Terms of Reference) पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे:

- ऐसे कार्यों को करने की अनुमति प्राप्त संकाय (नियमित/संविदात्मक) के लिए पात्रता मानदंड और श्रेणियां;
- अनुमेय दायरा (permissible scope) और अवधि;
- मानदेय/पारिश्रमिक, अवकाश और संस्थान के बुनियादी ढांचे के उपयोग से संबंधित शर्तें;
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता, संस्थान के कर्तव्यों में बाधा न डालने के संबंध में वचनबद्धता (undertaking), और संबंधित विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता द्वारा आवधिक प्रमाणीकरण;
- नियम 15, सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 और संबंधित डीओपीटी (DoP&T) निर्देशों की प्रयोज्यता; तथा
- प्रदान की गई ऐसी अनुमतियों के लिए रिपोर्टिंग/रिकॉर्ड-रखने का तंत्र।

समिति से अनुरोध है कि वह सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ उचित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ओब्बू चंद्र

(प्रो. (डॉ.) ओब्बू चंद्र शेखर)

कुलसचिव (प्रभारी), एनआईटी दिल्ली

प्रतिलिपि:

- संबंधित सदस्य।
- निदेशक कार्यालय।
- कुलसचिव कार्यालय।
- स्थापना अनुभाग।
- संबंधित फ़ाइल(फ़ाइलें)।

नोट: किसी भी विसंगति के मामले में, इस दस्तावेज़ का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।